कार्यालय जिला खेल और युवा कल्याण विभाग

जिला खेल परिसर, स्टेडियम, सॉची रोड़ विदिशा

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा के अंतर्गत 17 बिंदुओं की जानकारी

क्र.	बिंदु	जानकारी
1	खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संरचना, कार्य एवं कर्तव्य	विभाग में जिला स्तर पर जिला कार्यालय एवं ब्लाक स्तर पर ग्रामीण युवा केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। विभाग का मुख्य कार्य जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधियों का संचालन करना एवं समय समय पर विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली खेल प्रतियोगिता के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को चिन्हित कर उनकों संभाग, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर तक खेलने हेतु प्रेरित करना एवं बच्चों एवं युवाओं को खेलों के लिये मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध कराना, खेल प्रतिभाओं का चयन करना एवं जिले की खेल प्रतिभाओं को खेलवृत्ति प्रदान करना।
2	अधिकारी एवं कर्मचारियों के अधिकार (प्रशासकीय अधिकारी)	**जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी स्तर–** जिले में संचालित खेल परिसर एवं ग्रामीण युवा केन्द्रों पर प्रशासनिक नियंत्रण। खेल परिसर एवं ग्रामीण युवा केन्द्रों का प्रबंधन, अन्य कार्यो में मार्ग दर्शन एवं निरीक्षण करना। जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं का चयन करना। जिले के योग्य खिलाडियों को खेलवृत्ति का वितरण करना। **खेल प्रशिक्षक–** खेल परिसर में आने वाले खिलाडियों को खेलों को प्रशिक्षण देना एवं उनकों संभाग, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सम्मलित करवाना। **ग्रामीण युवा समन्वयक–** ब्लाक स्तर पर खेल गतिविधियों का संचालन करना एवं शासन की पायका योजना अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों में प्रदाय की गई खेल सामग्री का निरीक्षण एवं मॉनीटरिंग करना।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	जिला स्तर पर जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी लोक सूचना अधिकारी है।
4	कार्य निर्वहन में अपनाये जाने वाले प्रक्रिया का विवरण	शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश म.प्र. कर्मचारी आचार संहिता में वर्णित अनुदेश।
5	नियम, अधिनियम, दिशा–निर्देश मैनुअल एवं रिकार्ड जो	शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश म.प्र. कर्मचारी आचार संहिता में वर्णित अनुदेश।

	कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा कार्य संपादन हेतु किया जाता है। (अधीक्षक)	
6	उनके (कर्मचारी/अधिकारी) के नियंत्रण में रखे दस्तावेजों का विवरण (अधीक्षक)	जिले में विभाग में पदस्थ– लिपिक वर्ग, खेल प्रशिक्षक, ग्रामीण युवा समन्वयक, सुरक्षाकर्मी, ग्राउंडमेंन, सफाईकर्मी, भृत्य की गोपनीय, चरित्रावली एवं उनके समस्त स्वत्वों, प्रकरणों का निराकरण सेवा पुस्तिकाओं का संधारण।
7	नीति निर्धारण में किन–किन प्रतिनिधियों का समावेश कर नीति निर्धारण किया जाता है एवं तदोपनांत किस तरह उन नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है।	शासन एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी पुलिस अधीक्षक द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार कार्यवाही की जाती है।
8	सलाहाकार के रूप में बोर्ड/परिषद्/कमेटी या अन्य संस्था जिनके दो या अधिक व्यक्तियों की सलाह ली जाती है या अधिक व्यक्तियों की सलाह ली जाती है क्या इस तरह की बैठक/कार्यवाही का विवरण आम जतना के लिये उपलब्ध किये जा सकते हैं।	निरंक
9	अधिकारियों/कर्मचारियों की डायरेक्ट्री	**(श्रीमती वंदना सक्सेना–संभागीय खेल अधिकारी)**
10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा मासिक पारिश्रमिक जिसके अंतर्गत प्रतिकार प्रणाली भी है जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो।	निरंक
11	समस्त एजेंसियों के लिये बजट प्रावधान, समस्त प्लान, व्यय सीमांकन एवं वितरण प्रणाली की रिपोर्ट (बजट)	जिले में संचालित की जाने वाल खेल गतिविधियों के संचालन एवं ब्लाक में ग्रामीण युवा केन्द्रों को आवंटित बजट अंतर्गत खेल गतिविधियों का संचालन एवं खेल वृत्ति का वितरण।
12	अंशदान कार्यक्रमों का विवरण	(मैदान सुधार/विकास/विस्तार) इनमें दी जाने वाली राशि का प्रावधान एवं लाभान्वितों की पूर्ण विस्तृत विवरण (युवक कल्याण अधिकारी)

13	रियायत (छूट) के प्रावधान का विवरण स्वीकृत करने की शर्तो का उल्लेख (उप संचालक)	आवेदनकर्ता द्वारा चाही गई जानकारी कार्यालय में उपलब्धता के आधार पर यथा समय उपलब्ध करा दी जाती है।
14	Electronic Form में रखे गये सूचनाओं की जानकारी।	निरंक
15	आम नागरिकों को सूचना प्राप्त करने हेतु उपलब्ध सुविधाओं का विवरण Reading Room /वाचनालय की समय तालिका यदि आम जनता के लिये उपलब्ध है, की जानकारी (उप संचालक)।	कार्यालयीन समय में
16	लोक सूचना अधिकारी का नाम एवं पदनाम और अन्य विशिष्टियॉ	जिला स्तर पर श्रीमती वंदना सक्सेना संभागीय खेल और युवा कल्याण अधिकारी।
17	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये।	निरंक

संभागीय खेल और युवा कल्याण अधिकारी
जिला विदिशा (म.प्र.)